बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०02–14/2017 21 पटना, दिनांक: 29-01-2021

कार्यालय आदेश

श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, कटरा बाजार समिति, पटना सदर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड,रोहतास के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–733/आपूर्त्ति दिनांक–03.06.2017 द्वारा समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में आरोप पत्र गठित करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–359 सहपठित ज्ञापांक–2366 दिनांक–25.10.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०, पटना को नियुक्त किया गया ।

2. श्री दुर्गादत्त झा पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निम्नवत् है :–

" जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में किसानों /पैक्सों से धान की खरीद करने हेतु प्रभारी धान क्रय के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था । आपके द्वारा बाजार समिति कटरा, धान क्रय केन्द्र में कुल 6321.80 क्विंटल धान की खरीद की गई थी। आपके द्वारा निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध राईस मिलरों को कुल 3000=00 क्विंटल धान की आपूर्त्ति की गई एवं अदशेष 3321.80 क्विंटल धान को क्षतिग्रस्त करा दिया गया, जिसका मूल्य 53,62,713=92 रू० होता है। उक्त धान की निलामी की गई और निलामी से मात्र 18,43,599=00 रू० सरकार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर 35,19,114=92 रू० की सरकारी सम्पति का दुरूविनियोग कर अमानत में ख्यानत किया गया है, जो आपसे वसूलनीय है।"

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना के पत्रांक–211 दिनांक–19.09.2018 द्वारा श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र कटरा, बाजार समिति, पटना सदर, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत है :–

" आरोपी पर खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में किसानों/पैक्सों से धान की खरीद करने हेतु प्रभार धान क्रय केन्द्र के रूप में प्रतिनियुक्ति के दौरान बाजार समिति, कटरा धान क्रय केन्द्र में कुल 6321.80 क्विंटल धान की खरीद की गयी थी। आरोपी द्वारा निर्गत भंडार निगर्मादेश के विरूद्ध राईस मिलरों को कुल 3000.00 क्विंटल धान की आपूर्त्ति की गयी एवं अवशेष 3321.80 क्विंटल धान को क्षतिग्रस्त करा दिया गया जिसका मूल्य 53,62,713=92 रूपया होता है। उक्त धान की निलामी की गई और निलामी से मात्र 18,43,599=00 सरकार को प्राप्त हुआ । इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध दायित्व का निर्वहन नहीं कर

35,19,114=92 रूपया की सरकारी सम्पति का दुर्विनियोग कर अमानत में खयानत करने का आरोप है, जो आरोपी से वसूलनीय है।

आरोपी पर कर्त्तव्य में घोर लापरवाही, नियमों के प्रतिकूल कार्य करने, अमानत में खयानत करने एवं सरकारी सम्पति का दुरूपयोग करने का आरोप है ।

आरोपी को कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु विभिन्न तिथियों में नोटिस निर्गत किया गया यथा–दिनांक–18.11.2017, 04.12.2017, 13.12.2017, 27.12.2017, 18.01.2018, 24.01.2018, 03.02.2018, 17.02.2018, 16.03.2018, 31.03.2018, 16.04.2018, 03.05.2018, 12.05.2018, 26.05.2018, 09.06.2018, 27.06.2018, 07.07.2018, 21.07.2018, 04.08.2018, 18.08.2018, 25.08.2018, 01.09.2018 एवं 08.09.2018 को आरोपी निर्धारित तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहें हैं एवं इनके द्वारा कारण पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया।

आरोपी के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय में दिनांक–09.06.2018 एवं 27.06.2018 को उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखने हेतु समय की माँग किये। आरोपी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया परन्तु अरोपी दिनांक–04.11.2017 से लेकर 08.09.2018 तक सुनवाई हेतु निर्धारित कुल 21 तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहें। आरोपी द्वारा अपने अनुपस्थिति के संबंध में कोई भी सूचना इस न्यायालय को नहीं दी गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को अपने उपर लगाये गये आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें अपने उपर लगाये गये सभी आरोप पूर्णतः स्वीकार्य है। प्रस्तोता पदाधिकारी के दाखिल साक्ष्यों के परिशीलन एवं परीक्षण के अवलोकन से भी आरोपी पर लगाये गये सभी आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।"

आरोपी पर प्रपत्र'क' में गठित आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।

4. संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना के पत्रांक–211 दिनांक–19.09.2018 द्वारा आरोप प्रमाणित होता है, का समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–2039 दिनांक–04.10.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर श्री दुर्गादत्त झा से अभ्यावेदन की मांग की गयी । निदेशालय के पत्रांक–344 दिनांक–15.02.2019 द्वारा श्री झा को अंतिम अवसर देते हुए पुनः अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री झा से अबतक अभ्यावेदन अप्राप्त है। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पत्रांक–118 दिनांक–27.02.2019 से स्पष्ट होता है कि सभी पत्र श्री झा को प्राप्त करा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री दुर्गादत्त झा इस मामले में अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं।

श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, कटरा बाजार समिति, पटना सदर, पटना संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड, रोहतास के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन जिसमें श्री झा द्वारा दायित्व का निर्वहन नहीं कर 35,19,114=92 (पैंतीस लाख उन्नीस हजार एक सौ चौदह रूपये बानवे पैसे) की सरकारी सम्पति का दुरूविनियोग कर अमानत में खयानत करने का उल्लेख है, जो उनसे वसूलनीय है।

5. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कि श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, कटरा बाजार समिति, पटना सदर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी

पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड,रोहतास पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) संचयात्मक प्रभाव से 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड ।

(ii) श्री दुर्गादत्त झा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी से दायर नीलाम पत्र वाद के माध्यम से रूपया 35,19,114=92 (पैंतीस लाख उन्नीस हजार एक सौ चौदह रूपये बानवे पैसे) सूद सहित वसूल की जायेगी।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, कटरा बाजार समिति, पटना सदर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड,रोहतास पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से 3(तीन) वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

साथ ही श्री झा से दायर नीलाम पत्र वाद के माध्यम से रूपया 35,19,114=92 (पैंतीस लाख उन्नीस हजार एक सौ चौदह रूपये बानवे पैसे) सूद सहित वसूली की कार्रवाई जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०02–14/2017 138 पटना, दिनांकः 29-01-2021

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–733/आपूर्ति दिनांक–03.06.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, कटरा बाजार समिति, पटना सदर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड,रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/01

निदेशक